craft and they got all the baggage unloaded and the un-accompanied baggage taken away.

How is it that the pilot took off? Did the pilot inform the control tower and the airlines? Did the control tower instruct the pilot to come back and get grounded? If such an instruction was given, did the pilot disobey the instruction and still continue to fly the aircraft? These are important matters on which an inquiry is necessary and the House must be informed about it.

There is another thing also. The aircraft carried two cabinet Ministers. The lives of the Cabinet Ministers are important and one of them was Mr. Raj Narain who, according to me, is too precious for this nation to spare. He also travelled by that aircraft. The preserver of the health of the nation, the symbol of our great tradition and too precious a jewel for this nation was going to be risked by the pilot. We want to know how he dared to risk the life of Mr. Raj Narain. Did he consider in a moment of discovery that punctuality of aircraft was more necessary than the safety of the aircraft and, therefore, he took off the aircraft like that?

These are matters on which an inquiry must be held. I appeal to the Minister of Civil Aviation to make an inquiry and inform the House as to how the whole thing happened. It is too serious a matter to be overlooked.

14.18 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS

MR. SPEAKER: We now take up the Motion of Thanks on the President's Addresss. Shri Gauri Shankar Rai.

SHRI C.M. STEPHEN (Idukki): Sir, I rise on a point of order.

The Motion of Thanks is with respect to an Address delivered by the Presiden. Under the rules or as per the precedent, a copy of the Address was laid on the Table on the House. The Address that is laid on the Table of the House is not, according to me, the complete Address delivered by the President. I was there, all of us were present there. Before reading out the English part of the speech, I heard the President for about two or three minutes reading out something from a Hindi text. I do not know Hindi. Therefore, I do not know what he really spoke. Under the Constitution, when he rises and speaks, every part of what he speaks, is a part of the Address he delivers to the members of both the Houses assembled together. It is a joint session. Nobody has got any business to withhold any part of it. The Address now before the House does not contain that part of the speech of the President. Therefore, the Address before the House is not the complete **Address.**

My point of order is that the entire Address has got to be placed before the House. I would like to have your ruling on that. There is a constitutional provision. Nobody has got a right to bypass that. This is an important question. Is it that the President spoke that part of it without the sanction of the Cabinet? Is it that the Cabinet permitted him to speak that and, if so, does it reflect the language policy of the Government? The whole thing comes there. Therefore, that part of the speech cannot be withheld. That part also must be placed on the Table of the House.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): I am a point of order with regard to his point of order.

MR. SPEAKER: There cannot be a point of order on the point of order.

PROF P. G. MAVALANKAR: I want to say something. My point of order is that whatever my friend Mr. Stephen has said just now, I am

[Prof. P. G. Mavalankar.]

afraid, even if he had a point in what he has been, saying, he could have-- and my submission is he should have said this on the very opening day when the Secretary, at your instance, laid the copy of the President's Address on the Table of the House. That moment having passed, I do not know how this point of order stands today. Therefore, I will request you to kindly go into this matter.

SHRI C. M. STEPHEN: You kindly hear my reply to this. The moment a paper is laid on the Table of the House, Members do not come in possession of it: Members are only informed that they can collect it from the Publications Counter or from the other two places. We know about it only after we get the Address and we collect it subsequently from the counter. With regard to the point of order, the point of order can be raised only with respect to the business of the House. The business with respect to the President's Address comes before us only now. Therefore, I am raising it at the earliest opportunity. I have no other opportunity.

MR. SPEAKER: I reserve my order on the points of order, but, in the meantime, the proceedings will go on.

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

'कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'

इस प्रस्ताव पर कुछ कहने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे खेद है कि ऐसे अवसर पर नेता विरोधी दल और उप नेता विरोधी दल, दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है। पार्लियामेंटरी परम्परा यह है कि कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब नेता विरोधी दल, नेता सदन आदि सभी नेताओं को उपस्थित रहना चाहिये। अगर उनको अनुपस्थित रहना था तो उनको चाहिये था कि आपको और मुझे भी नम्रतापूर्वक सूचित करते। यह मैं इशारा ही कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्रीय मूल्यों का कल के शासक दल और आज के इधर बैठे हुए मित्रों ने जो अपमान किया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब भी उनके सोचने में कोई परिवर्तन नहीं आया है। माननीय स्टीफन जी का अगर 377 का नोटिस न होता तो पता नहीं वह भी होते या नहीं या उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है और वह यहां उपस्थित हैं।

मुझ इस प्रस्ताव को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यों तो यह एक रूटीन प्रस्ताव है। जब से पार्लियामेंटरी पद्धति चली है इस तरह के प्रस्ताव पेश होते रहे हैं और पास होते रहे हैं। यह नीति सम्बन्धी प्रस्ताव होता है और सरकार का समर्थन इसको प्राप्त होता है। मुझे ऐसे अवसर पर इसको पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जबकि वर्तमान सरकार को लगभग एक साल पदारूढ़ हुए हो गया है और इस दौरान उसके जो कार्यकलाप रहे हैं उनका सिंहावलोकन करने का मुझे अवसर मिला है। जो जनादेश लोक सभा को, पार्लियामेंट को प्राप्त हुआ वह एक ऐतिहासिक चीज़ थी। 1977 का इलैक्शन और उस में प्राप्त जनादेश एक ऐतिहासिक अवसर था। सब से बड़ा जनादेश हमारे सामने संविधान में संशोधन करने का था। उसके सम्बन्ध में भी हम कुछ कर पाए हैं यह मैं कहना चाहता हूं। पिछले कृत्यों की मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, उनका विवरण देना नही चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने न्यायपालिका

के प्रांगण में मात खाई, उनको मार मिली और उन्होंने तुरन्त प्रयास किया और न्याय-पालिका के सम्मान को गिरा दिया। देश के हमारे इन प्रगतिशील मित्रों ने नारा दिया

Supremacy of Parliament over judiciary and the people; supremacy of Cabinet over the Parliament and supremacy of the post of Prime Minister over everybody in India and all concerned.

इस नारे के मुताबिक सारे संविधान की रचना हुई और संविधान के रूप को बिगाड़ दिया गया। हमारे फाउंडिग फादर्ज ने जो संविधान हम को दिया था, उनकी जो कल्पना थी, गांधी जी, जवाहरलाल जी, मौलाना आजाद आदि जो भी हमारे पुराने नेता थे उनकी कल्पना के भारत के निर्माण का सारा प्रोसीजर, सारी व्यवस्था जो थी, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया और भारत जोकि संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है उसके प्रजातांत्रिक रूप का लोप कर दिया।

मैं सरकार को तो नहीं लेकिन देश की जनता को धन्यावद जरूर देना चाहता हूं कि उसने इस सरकार को अवसर दिया कि वह संविधान के उन काले धब्बों को धोने का काम करे और उस काम में हम सब ने सरकार का समर्थन किया। मुझ खुशी है कि हमने न्यायपालिका की पुनः प्रतिष्ठापना की है। फिर आज प्रैस की स्वतंत्रता हमने दे दी। नागरिक आजादी, जिन्दगी में सांस लेने और जीने की आजादी हमारे देश को मिल गई। एक प्रश्न हमारे सामने प्रधान मंत्री जी ने पिछले समय रखा था कि हम संविधान का संशोधन सहमति से करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में सब से बड़ा रिटन कांस्टीट्यूशन हमारा है और दुनिया में पहला कांस्टीट्यूशन बना है, जहां तक मुझे जानकारी है, सहमति के आधार पर बना है। मैंने सारे संविधानों की रचना को, सारे प्रोसीजर को देखा है, जब किसी मामले में मतभेद हुआ तो एक कमेटी बनी और उसने दो, तीन सप्ताह या एक, दो महीने में सहमति से अपनी रिपोर्ट दी। माइनारिटीज़ कमीशन ने तीन महीने लिये, और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक आदमी की भी विमती रहेगी तब तक मैं सहमति का प्रयास करता रहूंगा। इसके लिये मैं सरकार को और इस पुराने दृष्टिकोण को साधुवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जनता के जन आदेश के बाद भी संविधान में संशोधनों के करने में जो हमारे विरोधी दल के भाइयों को संकोच हो रहा है उससे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जनादेश को नहीं समझा? अगर वाणी नहीं समझ में आती है तो जनता के व्यवहार को समझिये और इतिहास चक्र को पीछे न खींचिये।

मान्यवार, अभी हमको शरमिन्दगी है, हमको अफ़सोस है कि हमारे संविधान में क्या था। मान्यवर, हमारा एक फेडरल ढांचा है, राज्य और केन्द्र के सम्बन्ध, राज्य और नागरिक के सम्बन्ध, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और ऐग्जीक्यूटिव के आपसी सम्बन्ध, यह सारे सम्बन्ध बड़ी होशियारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ और दुनिया के सारे संविधानों को देख कर के उनके अनुभव के आधार पर हमने बनाया था। कुछ हमारे मित्र कहते हैं कि संविधान नकल है। उनको यह समझना चाहिये कि संविधान दुनिया में आज के बाद कोई भी बनेगा तो आकाश से नहीं गिरेगा, किसी न किसी संविधान से लिया जायेगा। आस्ट्रेलिया की फ़ैडरल गवर्नमट में जो खामियां थीं उनको हमने हटाया, सेन्टर स्टेट रिलेशन्स को एक रूप दिया। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन ने हमारे आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ दिया। मान्यवर, मैं व्याख्या नही करना चाहता, संविधान संशोधन के अवसर पर उसकी

[श्री गौरी शंकर राय]

व्याख्या होगी, इतना जरुर कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी मुक्त हो गई इसके लिये हमें खुशी है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि प्रजातांत्रिक सरकार में जुडिशियरी से भी अधिक मुक्त एक और व्यवस्था होनी चाहिये, और वह है कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल। हमारे संविधान के बनाने वाले डा० अम्बेडकर ने कहा था कि जुडिशियरी से अधिक स्वतंत्रता कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल को होनी चाहिये क्योंकि वह ऐग्जीक्यूटिव के हिसाब को चैक करता है। उसके अधिकार को भी पुराने प्रधान मंत्री ने अपने अधिकार में रख लिया था। और अगर हमारे उधर से बैठे हुए सदस्य शरमिन्दा नहीं हैं तो मुझे शरमिन्दा होने की इजाज़त दें कि आज भी उस कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल के दफ्तर को और उसके कार्य को प्रधान मंत्री के अन्डर रखे हुए हैं जो सीधे राष्ट्रपति के समक्ष आता था। तो मान्यवर, संविधान का जो विकृत रूप है वह हमको तक़लीफ़ देता है। और मैं अपने मित्रों को, निन्दा के लिये नहीं, कहना चाहता हूं कि अपने को देखें, गरेबां में देखें, आत्म निरीक्षण करें कि आज के बाद भी वह सहमति के लिये तैयार नहीं हैं। मैं मुख्य विरोधी दल के नेता श्री चह्वाण की मजबूरी समझता हूं। चह्वाण साहब से आशा है, समय कम है नहीं तो मैं सुनाता, हमारे यहां एक बीरबल की कहावत है कि एक आदमी से बादशाह ने कहा कि इतना गोश्त रोज़ खिलाओ लेकिन मोटा न होने दो। तो बीरबल ने सुझाव दिया उस आदमी को कि तुम गोश्त तो खिलाओ लेकिन शेरनी के पास उस बकरे को बांध दो वह मोटा नहीं होगा। अभी वह बंधे हुए थे श्रीमती गांधी के साथ, मारे डर के भाई को असहमति का भी साहस नहीं था। अब उन का भय मुक्त हो गया, इसके लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अब उनकी पार्टी के लोग साहस के साथ काम करेंगे। मान्यवर, देश की जनता तो 1977 के चुनाव के बाद भय मुक्त हो गई, लेकिन हमारे चह्वाण साहब और उनके मित्रों को अभी भय मुक्त हुए कम दिन हुए हैं। अभी हमको लगता है कि जब सोये रहते हैं तो भयभीत ही रहते हैं। पूर्णरूप से भयमुक्त नहीं हैं। हमारी पुरानी प्रधान मंत्री भय मुक्त भी हैं, और लज्जा मुक्त भी हैं। इसलिये उनको तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह भाई जो हैं मालूम नहीं लज्जा मुक्त हैं कि नहीं, भय मुक्त तो ये हो गये। इसके लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं।

मान्यवर, हमने तानाशाही से लड़ाई लड़ी, जनता के आशीर्वाद से हमने बहुत से फंदों को काटा। लेकिन आज तानाशाही प्रवृत्तियों से लड़ाई लड़ना अधिक आवश्यक है। तानाशाही एक शासन नहीं होता, तानाशाही एक काम करने का तरीका होता है, एक वर्किन्ग पैटर्न होता है। आज तानाशाही मनोवृत्तियों को खुल कर छूट मिली है, चुनाव हो रहे हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और हमारे कुछ और मित्र जाति जाति से लड़ाने का, रीजन रीजन से लड़ाने का, भाषा भाषा से टकराने का, तमाम संकीर्ण प्रवृत्तियों को उभाड़ कर के, इमोशन्स जागृत कर के देश की स्थिति को खराब करना चाहते हैं। यह प्रवृत्तियां हैं इनसे लड़ने के लिये कोई सरकार अकेले नहीं लड़ सकती। मैं नहीं मानता मोरारजी भाई की सरकार की हैसियत है कि तानाशाही प्रवृत्तियों से लड़ेगी। इसके लिये देश के युवा और प्रबुद्ध नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना होगा और उसका परीक्षण करना होगा क्योंकि इतिहास के इस लम्बे रास्ते में कोई सरकार तानाशाही प्रवृत्तियों से नहीं लड़ सकती। और आज हमें खुशी है कि तानाशाही संविधान का हमने संशोधन कियाहै। बाकी संशोधन करने का राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है, लेकिन तानाशाही प्रवृत्तियों से लड़ने के लिये देश में जो जनमत और

सहयोग मिलना चाहिये था, उसको इकट्ठा करने के लिये सब के सहयोग की आवश्यकता को मांगने के लिये हमें प्रयास भी बहुत करना है ।

शाह कमीशन के ऊपर कीचड़ उछालना क्या है ? इससे पहले कि शाह कमीशन अपना निर्णय दे, उसको बेईमान कह दिया जाये, उसकी मर्यादा के विरुद्ध कुछ कह दिया जाये, यह सारी प्रवृत्तियां तानाशाही की हैं और इन प्रवृत्तियों के खिलाफ देश को सजग होना चाहिये, इतना मैं मानता हूं । इस चुनाव में मुझे संतोष हो गया है और तानाशाही प्रवृत्ति वाले मित्रों को समझ लेना चाहिये कि आज देश की जनता, भोजन और पढ़ाई के बिना, तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी तो तानाशाही प्रवृत्ति को भी वह हटायेगी । लेकिन देश के जनमत को इन मामलों में सजग रहना है, क्योंकि यह प्रवृत्तियां बढ़ी हैं और खुलकर उन लोगों को अवसर मिला है । तानाशाह शासन में रहकर ही तानाशाही प्रवृत्तियों का पठन-पाठन नहीं कराता है बल्कि शासन से बाहर रहकर भी कराता है । हिटलर जब शासन में नहीं था तब भी तानाशाही प्रवृत्तियों का द्योतक था । तमाम इतिहास है उसका, लेकिन उसके शास्त्रीय पक्ष में जाने का समय नहीं है ।

अभी हमको एक दिन भाई स्टीफन की पार्टी के एक साथी ने कहा कि अगर 3 राज्यों में हम जीत जाते हैं तो 20 लाख आदमी दिल्ली में आकर शासन पर काबिज़ हो सकते हैं और डंडे से संभाल सकते हैं । लेकिन यह सोचने का क्या तरीका है ? अगर तीन प्रदेशों में आप जीत जाते हैं तो क्या 20 लाख आदमी वहां दिल्ली में हल्ला करेंगे, हमला करेंगे ? यह सारी प्रवृत्ति तानाशाही है । इससे लड़ना जनता पार्टी का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद जनता पार्टी है उसके बाद कांग्रेस है । प्रजातंत्र और संविधान के प्रति हमारी आस्था है ।

मैं थोड़ा सा पहले बोल रहा हूं, भाई स्टीफन बाद में बोलेंगे । इसलिये मैं उनके संशोधन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे सी०पी०आई० का संशोधन है कि नैक्सेलाइट्स की जेल से रिहाई कर दो । इनका संशोधन है कि सुरक्षा बिल जो है इसमें कुछ पाबन्दी न रहे, मीसा जल्दी हटाओ । उस दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था तो सी०पी० आई के एक सज्जन ने कहा कि मीसा अभी हटा नहीं । छोटे मियां छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह । मैंने संशोधन को बड़े गौर से पढ़ा है । फिर कहा कि श्रमिकों को न दबाया जाये ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो मलिका-आज़म थीं उनका दरबार 3 हिस्सों में बंट गया है--एक तो दो हिस्सों में बंट गये सी०पी०आई० के भाई । उन दो के नाम स्पष्ट नहीं हैं । एक को श्वेताम्बर कह सकते हैं और दूसरे को दिगाम्बर कह सकते हैं । उनके दो पक्ष बटे हैं और तीसरे सी०पी०आई० के हैं ।

मैंने दुनिया का कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास पढ़ा नहीं है लेकिन 5, 7 कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास दे रहा हूं । संसार में ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मिलेंगी जिन्होंने गलती की है लेकिन जो कम्पलीटली डी-पोलिटिक्लाइज्ड हो गई, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में नहीं मिलेगी । यहां वह गैर-राजनीतिक हो गई जिसने संविधान के वर्करों से इकट्ठा होने के अधिकार को छीन लिया था । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि जमानत क्यों हो गई । यह ऐसे फासिस्ट हैं, यह इनकी जमानत का आदर्श था मीसा के बाद । आज ये लोग हमारी आलोचना करते हैं भय मुक्त होने का मतलब कभी भी लज्जामुक्त नहीं होता है ।

यह हमारी आदरणीय बहन का विषय है, जो बोलेंगी तो बतायेंगे । कमाल की बात

[श्री गौरी शंकर राय]

हमारे सी० पी० आई० के भाई कहते हैं कि शराब पीने की बात को क्यों मना करते हैं हमारे मोरारजी भाई। मान्यवर उनका एक तरीका है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोडर ने इस एमर्जेन्सी में कहा कि We have to go through many twists and turns' इसे ट्विस्ट किया इन्होंने और कमर तोड़ दी पार्टी की। अपने पास कमर है ही नहीं। वह बड़ा घुमाफिराकर कहते हैं कि शराब पीना जरूरी है।

मुझे खुशी है कि एक भाई कहते हैं कि मीसा फिर से लाओ। उन्होंने संशोधन नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि फिर से तानाशाही लाओ। मुझे खुशी है कि आप अब सही कहते हैं।

जब सी०पी०आई० श्रमिकों की बात करती है, तो मुझे हंसी आती है। श्रमिकों के सब अधिकारों की हत्या करने में ये लोग साझीदार थे, जिन्होंने सब से पहले इमर्जेन्सी का समर्थन किया। मैं ने पहले भी कहा है—और एक लेख भी लिखा है—कि सी०पी०आई० के लीडर इमर्जेन्सी का समर्थन करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के वहां गये। लेकिन उन से दो पांच मिनट पहले बिड़ला वहां पहुंच गये। इस वजह से सी०पी०आई० को इस बात का अफ़सोस रहा कि इमर्जेन्सी का समर्थन करने में हम नम्बर दो रहे। मैं इस वक्त थ्यूरी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डिक्टेटरशिप आफ़ दि प्रालिटेरियट की बात मैं समझता हूं, लेकिन एक कैपिटलिस्ट रेजीम में कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हों, ऐसी नान-पोलीटिकल आर्गनाइज़ेशन हम ने कनसीव नहीं की थी। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी डीपोलीटिकलाइज़ेशन को कनसीव नहीं कर सकता था।

इन लोगों ने यह फ़ैसला किया कि हम भूतपूर्व मंत्री और इमर्जेन्सी का समर्थन और जयजयकार करेंगे। ये बेचारे इतने स्वामिभक्त और लायक थे कि जब लड़के ने लात मार दी, तो मां के पास उलाहना ले कर गये। लेकिन जब मां ने डांटा कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे लड़के के ख़िलाफ़ शिकायत करते हो, तो इन का हुलिया तंग हो गया। तब जा कर ये लोग उन से नाराज़ हुए, वर्ना ये लोग तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पक्षों से आगे थे।

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Sir, I would like to point out that the quality of debate in this House is going down. This is the speech being made on the President's Address.

श्री गौरी शंकर राय : डेमोक्रेसी का मतलब टालरेंस होता है। माननीय सदस्यों को दूसरों की बात सुनने की शक्ति होनी चाहिए। इन लोगों की एक बात पर मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है—

कल यज़ीदो-शिम्र थे, आज बनते हैं हुसैन

यज़ीद ने हज़रत हुसैन का कत्ल करवाया था और शिम्र ने उन का कत्ल किया था। शिम्र स्टीफ़न साहब थे और यज़ीद सी०पी०आई० के लोग थे। आज ये लोग एमेंडमेंट ला कर कहते हैं कि मीसा न लगाया जाये, मीसा को जल्दी हटाया जाये। इन के मुंह से यह बात सुन कर मुझे ग़ालिब का शेर याद आता है। अगर काश्मीर के माननीय सदस्य, श्री कुरैशी, यहां होते, तो वह इसे समझते।

की मेरे कत्ल के बाद उस ने जफ़ा से तौबा,
हाय, उस ज़ूद पशेमां का पशेमां होना।

मेरे कत्ल के बाद अगर मेरे कातिल को शर्मिन्दा होना पड़ता है, तो मुझे इस की भी खुशी है। (व्यवधान)

मैं आपोज़ीशन से अपील करूंगा कि वह कृपा कर के संविधान की भद्दी शक्ल को बदलने के लिए अपनी सहमति दे। अगर वह इस के लिए अपनी सहमति नहीं देगी, तो इतिहास उसे क्षमा नहीं करने वाला है। अपनी झेंप को मिटा कर वे लोग सही रास्ते पर चलें। अपने डीपोलीटिकलाइज्ड मित्रों से मैं कहूंगा

कि वे अपने आप को पोलीटिकलाइज़ करें। वे कम से कम कम्युनिस्ट तो बनें, ताकि कम्युनिज्म के समर्थकों को शर्मिन्दगी न हो।

हमें भ्रष्टाचार को हटाने का भी मैन्डेट मिला है। आज देश के सामाजिक जीवन में नीचे से ले कर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। (**व्यवधान**) जब मैंने विधान सभा में बोलना शुरू किया था, तब मेरे मित्र एक कपड़ा पहनते होंगे। इस लिए मैं उन से कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता हूं।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जनता पार्टी का यह विश्वास है कि अगर ऊपर से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा, तो नीचे भी भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। संसार के इतिहास में पहली दफ़ा एक ऐसा लेजिस्लेशन हमारे सामने प्रस्तुत है, जिस में प्रधान मंत्री के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी साधारण नागरिक उन के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला ला सकता है।

मैं नहीं कहता। हमारे भाई अधिक जानकार हैं तो हमें बता देंगे। हो सकता है कि हमारे भाई डिक्टेटरसिप आफ दि प्रालिटरिस्ट वाले जानते होंगे कि किस समाज में ऐसी व्यवस्था है भ्रष्टाचार की। यह तो नीयत है इस सरकार को कि भ्रष्टाचार को मिटाना है लेकिन इस संबंध में और बहुत से काम हैं जो होने हैं और हम सब को मिल कर इस काम को संभालना है। प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी होगी।

एक संशोधन आया कि भारत सुरक्षा कानून को हटाओ। एक तरफ तो हमारे विरोधी दल के मित्र कहते है कि जिन्होंने संशोधन दिया है कि शांति और व्यवस्था कसे रहेगी और दूसरी तरफ भारत सुरक्षा कानून के लिए जो उस जमाने मे एक दिन भी बन्द नहीं था, कहते हैं कि उस को हटाओ। आज देश में जो अशांति फैलाने वाले हैं अराष्ट्रीयतत्व हैं, जो देश में अलगाव की भावना पैदा करने वाले हैं, अपराधी हैं, तस्कर हैं, चोर हैं, स्मगलर हैं क्या उन के लिए आप चाहते हैं कि शासन के पास कोई दण्ड न रहे? प्रजातंत्र का अर्थ यह कदापि नहीं हुआ करता है कि देश को आपस में बांटने वाली जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ हैं उन को एन रेज होने का अवसर दें। इसलिए भारत सुरक्षा कानून या कोई ऐसा कानून जो सिर्फ समाज के प्रति ही नहीं बल्कि देश के प्रति अपराधियों को दण्ड देने में सक्षम हो वह रहेगा और वह रहा है। उस समय जब यह था, मिसा था तो मिसा के तो वे सार्थक थे। सारे हिन्दुस्तान की जबान काट देने और कलमें तोड़ देने के तो समर्थक थे और आज इन्क्लाबी हो गए। रात को सोये और सुबह इन्क्लाबी हो गए। अरे, थोड़ा शर्मिन्दा हो जाते, अगले साल अमेंडमेंट देने तो तो बात कुछ समझ में आती।

प्रचार माध्यमों के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं ..(**व्यवधान**) ऐंटी डिफेक्शन बिल आना चाहिए। उस के लिए मैं बाद में कहूंगा।

सारे प्रचार माध्यम इस बीच में सरकार के अधीन थे और एमर्जेन्सी में प्रचार के माध्यमों का पूरा पूरा दुरूपयोग हुआ। उस में सुधार करने का प्रयास हुआ है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस संबंध में सरकार कोटी न बनाए बल्कि शीघ्र इन को एक स्वायत्तता प्रदान कर दे क्योंकि हमारा उस के लिए कमिटमेंट है देश के सामने। समाचार को चार हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। हम उस पालिसी का स्वागत करते हैं लेकिन उस के इम्प्ली-मेंटेशन में बिलम्ब हुआ है। दस बीस

[श्री गौरी शंकर राय]

पचास लाख रुपया खर्च हो जाय हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन चारों प्रेस की जो इकाइयां हैं, एजेंसीज़ हैं उन को चलना चाहिए और काम करना चाहिए। इस संबंध में यह भी हम को एक मैन्डेट है जिसका सरकार को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। समाचार की एजेंसियों को चार हिस्सों में बांटना ही काफी नहीं था बल्कि उनका इम्प्लीमेंटेशन और कार्यान्वयन आवश्यक है जिस में कल से वे अपना काम शुरू कर दें।

यह देश एक विकासशील देश है और बड़ा गरीब देश है। गरीबी और परेशानी हम को लिगेसी में मिली है। इस के विपरीत लड़ने के लिए सरकार ने एक नयी दिशा देने का प्रयास किया है। समय होता तो मैं उस की बड़ी व्याख्या करना चाहता था क्यों कि सब से महत्वपूर्ण विषय यही था। आज हम को इस बात की खुशी है कि सारी आर्थिक व्यवस्था का मुंह गांवों की तरफ ले जाने का प्रयास सरकार कर रही है। अभी मैं जापान गया था। आप भी साथ थे। वहां के गांवों में जाने का हमें अवसर मिला। चार एकड़ का किसान अपने घर में टेलीफोन रखता है और किसान की पैदावार, उसकी मार्केटिंग वगैरह हर स्टेज पर सरकार का सबसिडाइजेशन है। सरकार सबसिडाइज़ करती है। यहां तीस साल तक जो सरकार रही वह छोटे किसानों को सबसिडाइज़ करती रही, इंडस्ट्रियल हाउसेज़ को और इंडस्ट्रीज़ को सबसिडाइज़ करती रही है। उस परिवर्तन को हमें मजबूती से लाना होगा। तब इस देश का मानचित्र बदलेगा। मैं ने देखा, कई देशों में जाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान के लोगों की परचेज़िंग पावर कम है। हिन्दुस्तान में 75—80 प्रतिशत किसान बसता है। अगर उस की परचेज़िंग पावर बढ़ी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इस देश का होगा और फिर जो हमारे लिए मार्केट दुनिया भर में ढूंढते फिरते हैं वह मार्केट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सरकार के लिए आवश्यक है कि जो उस ने पालिसी की घोषणा की है कि गांवों में अपने खर्च को बढ़ाएगी उस को शीघ्र कार्यान्वित करने का काम करे और उसके लिए अपनी नीति बनाए।

किसी और अवसर पर कहना चाहूंगा, यही देश है जहां सीलिंग हुई। हमारे उत्तर प्रदेश में तो लैंड रिफार्म हुआ, आन्ध्र में नहीं हुआ। आन्ध्र में लैंड रिफार्म का मज़ाक हुआ। महाराष्ट्र में लैंड-रिफार्म का मज़ाक हुआ। अगर हिन्दुस्तान के गांवों की तरक्की करनी है तो उन प्रदेशों में भी लैंड रिफार्म करना होगा। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहला काम लैंड रिफार्म का किया। और लैंड रिफार्म के बाद खेती की तरक्की का काम किया। जापान में तो उस के हिसाब से उतने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं लेकिन यहां सीलिंग तो 18 एकड़ की है और ट्रैक्टर आसमान के बराबर है। अगर किसी ने जाल कर के कुत्ते गधे के नाम पर जमीन रखी है तो उस के लिए तो ये बड़े बड़े ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं वरना और उन का क्या उपयोग हो सकता है। ये जो बड़े बड़े ट्रैक्टर बनाने के कारखाने बना रहे हैं उन के द्वारा बनाए गए ट्रैक्टर कहां काम करेंगे? आज बहस होती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज के हम खिलाफ हैं। बड़ी इंडस्ट्री बनाइए लेकिन छोटे ट्रैक्टर बनाने के लिए बड़ी इंडस्ट्री बनाइए। किस चीज के लिए आप बड़ी इंडस्ट्री बनाते हैं? समय कम है, मैं इतना ही संकेत

करना चाहता हूं कि यह घोषणा काफी नहीं हैं, इस के ऊपर कार्यान्वियन करने का शीघ्र प्रयास होना चाहिए और यह बात तय कर के होना चाहिए कि हिन्दुस्तान के गांव अगर नहीं सुधरेंगे तो हिन्दुस्तान नहीं सुधर सकता है । इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले तीस साल गांवों की तरफ निगाह नहीं गई है । दिल्ली के लोग दिल्ली की तरफ़ देखते रहे हैं और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ़ देखते रहे हैं । आज सरकार ने गांवों की तरफ देखने का वादा किया है । इस वादे को मजबूती के साथ पूरा करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए ।

वर्तमान पृष्टभूमि में जो हमारे देश का आयात है, निर्यात है, मूल्य हैं, इन के संबंध में भी कोई नीति निर्धारित होनी चाहिए । आज गन्ने को कोई पूछने वाला नहीं है । अभी आज सुबह उस के ऊपर चर्चा उठी थी । इस समय दो वरिष्ठ मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, उन से मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं की भी यही हालत होने वाली है । अगर गेहूं के लिए आज से ही कुछ नहीं करते हैं तो जब एकदम आसमान और ज़मीन चलने लगेगी तब आप कोई इन्तज़ाम नहीं कर पायेंगे । इस सम्बन्ध में अभी से आप को कोई पोज़िटिव एफर्ट्स करनी चाहिये ।

श्रीमन्, इस देश में समाजवाद की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं । पहले एक मोनोपली कमीशन बना था, उस के तहत एक एक्ट बना और सारे दूसरे काम हुए । कमीशन की चर्चा हमारे सी० पी० आई० के दोस्त भी करते थे और रूलिंग पार्टी का जो प्राग्रेसिव सेक्शन था, वह भी बड़ी बात करता था । हमारे यही भाई थे, जो प्रोग्रेसिव सैक्शन के लीडर बन गये थे । समाज के लिये जहां खेती और उद्योगों के उत्पादन की आवश्यकता है, उस के साथ-साथ अगर वितरण की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं होगी, तो कुछ नहीं हो सकता है । लेकिन वितरण की कोई व्यवस्था हुई नहीं । थोड़े से घरों में

concentration of economic power in the hands of big indnstrial houses

हो गया । श्रीमन्, मैं समाजवाद की बात नहीं करता, मेरे ख्याल में कन्सेन्ट्रेशन-आफ़- वेल्थ के खिलाफ एक्ट है, कमीशन है, ब्रिटेन में भी ऐसी ही व्यवस्था है । यहां 1965 में इस की व्यवस्था हूई थी । मैंने अपने तमाम प्रगतिशील मित्रों के भाषण पढ़े हैं, जिन्होंने कहा है कि मानोपोली कमीशन बनाना चाहिये और एक्ट का इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये । सुब्रह्मण्यम् साहब चले गये । उन्होने कहा था कि देश की प्रगति के लिये, विकास के लिये, बड़े हाउसेज को फी छोड़ना एक "मस्ट" है । आवश्यक है । उन्होंने कहा है–

monopoly houses must stay to boost production

यही नहीं, एक दूसरे प्रगतिशील मित्र श्री सिद्धार्थ शंकर राय जी ने कहा था, कि मोनोपाली कमीशन के अन्तर्गत जो एक्ट बना है, उसे बंगाल में लागू नहीं किया जाना चाहियें । यह उस समय की बात है, जब कि सी० पी० आई० के भाई देवी जी की पूजा में मृदंग बजा रहे थे । इसी प्रकार मैं ने श्री वेदव्रत बरुआ की दस स्पीचेज़ पढ़ी हैं । उन्होने कहा था — इस प्रकार एक तरफ

These big houses cannot be denied concessions

तो समाजवाद की चर्चा कांग्रेस से की जाती थी और दूसरी तरफ़ इस तरह की बातें थीं । यही नहीं—श्री वेदव्रत बरुआ, जोकि सरकारी मंत्री थे, उन्होंने कहा था—

Government never intended to stop expansion of the monopoly houses

[श्री गौरी शंकर राय]

मोनोपली हाउसेज को बाहर गालीं देना और अन्दर से समर्थन करने की जो सरकारी नीति रही है, मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र इस सम्बन्ध में अपनी राय को रिवाइज करें और मैं सरकार से कहूंगा कि इस एक्ट का निफाज करने का पूरा प्रयास किया जाय। यह जो एम०आर०टी०पी० एक्ट हैं, मैं समझता हूं——यह कुछ अप्रभावकारी हो गया है। श्रीमन, आप को आश्चर्य होगा कि उस में मोनोपाली हाउसेज की जो डेफिनेशन बनाई गई, उस में टाटा —बिरला की आधी कम्पनियां बाहर निकल गई। मैं चाहूंगा कि आप इस में इलैस्टिसिटी दीजिये ताकि जो फ्राड इस एक्ट और इस कमीशन की चर्चा कर के जनता के साथ किया गया है उसको समाप्त किया जा सके। यदि कुछ करना है तो उस में आप तरमीम करें ताकि वह इफेक्टिव हो सके। तभी एकोनामिक कंसेंटशन को रोका जा सकता है।

श्रीमन, इण्डस्ट्रियल हाउसेज के एक्सपेंशन और उस की ताकत को रोकने के लिए एक सरकार कमीशन बना था फरवरी, 1970 में। सरकार कमीशन से अपेक्षा थी, कि 9 महीने में वह अपनी रिपोर्ट दे देगा लेकिन 89 साल हो गए, अगले साल 9 साल हो जायेंगे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। एम०आर०टी०पी० की 9 रिपोर्टें हैं लेकिन मालूम नहीं सरकार की निगाह में यह बात है कि नहीं कि उसकी एक भी रिपोर्ट इस सदन के सामने नहीं आई है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने तो इस सदन को अवमानित किया है, इस सदन की प्रतिष्ठा को नीचे गिराया है जिसको उस भाषा में मैं कहूंगा—

The House must turn into auditorium.

पता नहीं क्या इस सदन के सामने उन रिपोर्टों को नहीं रखा गया और क्या कठिनाइयां थीं। मैं कहूंगा सरकार इस ऐक्ट में कुछ परिवर्तन करे तभी इकोनामिक कन्सेन्ट्रेशन को कुछ हाथों में जाने से रोका जा सकेगा। मैं समाजवाद की बात नहीं करता लेकिन अमरीका के कमीशन को दस गुनी पावर्स हैं और ब्रिटेन का कमीशन भी ज्यादा इफेक्टिव है। यहां 1972–73 और 1975–76 के बीच इन्डस्ट्रियल हाउसेज के असेटस 41 परसेन्ट बढ़ गए जब कि देश की पर कैपिटा इनकम में कोई तरक्की नहीं हुई।

पिछली सरकार पूंजीपतियों की चेरी थी और उन के इशारों पर काम करती थी। उनका तरीका था कि बाहर कभी कभी उन्हें गोली दे दी जाय। गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है उनकी कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए। कमीशन के नाम पर पिछली सरकार ने जनता के साथ एक फ्राड किया है। उस ने कोई काम नहीं किया, उसकी कोई रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आई। मैं कमीशन की आलोचना नहीं करता लेकिन उन के काम करने का तरीका ऐसा था कि कभी उस कमीशन का सेक्रेटरी नहीं रहता था तो कभी उसका कोई मेम्बर नहीं रहता था। इस प्रकार उस कमीशन को बना कर देश की जनता को भ्रम में डालने का ही प्रयास किया गया। अब मैं अपनी सरकार से चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो किया उस को वह ठीक करे। या तो वह उस

कमीशन को समाप्त करे और रखना है तो उस की रिपोर्ट जनता के सामने आनी चाहिए ।

मैं यह भी चाहूंगा कि इस एम० आर० टी० पी० एक्ट को तरमीम करके इस को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाए ताकि कुछ हाथों में जो आर्थिक केन्द्रीकरण हुआ है, वह दूर हो सके । इस से देश का उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ही देश की शक्ति भी बढ़ेगी । पिछली सरकार सिर्फ अपनी ही शक्ति बढ़ाना चाहती थी । इस के साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसकी वितरण प्रणाली भी व्यवस्थित होनी चाहिए जिस ओर पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और न मैं पिछली सरकार के लीडरों से उस के बारे में कुछ सुन पाया हूं ।

मान्यवर, परिवार नियोजन एक बड़ा ही सुन्दर कार्य है, बड़ा पवित्र कार्य है । दुनिया के किसी भी देश को जो अपनी प्रगति करना चाहता है उसे अपनी आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार को कम करना पड़ेगा, जनसंख्या को कम करना पड़ेगा । हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस दिशा में कुछ नहीं कर सके हैं क्योंकि पिछले शासन ने और उस के साथ लगे हुए लोगों ने इस कार्य को इतना बदनाम कर दिया था कि हम इस ओर प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो पाये । इस सम्बन्ध में हमें सीरियस होना चाहिये क्योंकि देश आबादी की रफ्तार को कम किये बिना प्रगति नहीं कर पायेगा ।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया । हमें खुशी है कि पहली दफा दिल्ली की सरकार की निगाह एशिया के देशों की तरफ गयी है । अभी हम साउथ इस्ट एशिया के देशों में गये थे हम ने वहां देखा कि आज सारे साउथ इस्ट एशिया के देश हिन्दुस्तान को बहुत सम्मान से देखने लगे हैं । जहां पहले वे अमरीका और संसार के दूसरे कैम्पों की तरफ़ देखते थे आज वे भारत के शांति प्रयासों में, भारत के साथ हैं, हमें विश्वास है कि इन देशों के सहयोग से भारत विश्व में शांति स्थापित कर सकेगा ।

मान्यवर, एटोमिक एनर्जी के प्रयोग दुनियां में हो रहे हैं, उस के सम्बन्ध में भी हम ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और इस संबन्ध में हमारे प्रयास अनवरत रूप से जारी हैं । हमें इस बात की भी खुशी है कि हिन्दुस्तान के आसपास बसने वाले देशों—पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बंगलादेश—से हमारे सम्बन्ध पहले से अच्छे हुए हैं । हम इस बात को सही मानते हैं कि डिप्लोमेसी में धौंस और कनिंगनेस नहीं होनी चाहिए । हर देश को स्पष्टता से बात करनी चाहिए । इसी कारण हमारे सम्बन्ध पड़ौसी देशों से अच्छे बने हैं ।

दल बदल के सम्बन्ध में हमारे मित्र चिंतित दिखायी दिये । जिन लोगों की राजनीति का आधार दल-बदल ही रहा है, आज वे ही इस से चिंतित हैं । मैं उन के इस हक को मानता हूं क्योंकि एक डेबिल को भी स्क्रिप्चर्स कोट करने का हक है । दल-बदल को मैं सही नहीं मानता और चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में शीघ्र कानून आना चाहिए । पिछले शासन ने थैली के बल पर दल-बदल करने के प्रयास किये और उस की राजनीति का आधार ही दल-बदल था । मान्यवर, अभी भी दल-बदल के प्रयास हो रहे हैं । अभी हमारे भाई स्टीफन जी को चह्वाण कांग्रेस

[श्री गौरी शंकर राय]

से तोड़ लिया गया । मैं समझता हूं कि इन के ऊपर कोई कोर्सन नहीं हुआ होगा । अगर हुआ होगा तो हम जरूर झगड़ा करेंगे क्योंकि हम दल-बदल नहीं चाहते हैं । यह हिन्दुस्तान की राजनीति में एक अनहेल्दी ग्रोथ है और इसे अपने बीच से हटाना जरूरी है । इसके लिए पिछले प्रशासक जिम्मेदार रहे हैं।

हमारे मित्रों ने चीफ जस्टिस के अपोइंट-मेंट पर चर्चा की और कहा कि यह क्यों की है ? हम न्यायालय की आलोचना नहीं करते; हम उसका सम्मान करते हैं । कुछ लोगों ने यह कहा कि जो जज सिविल लिबर्टीज में यकीन नहीं करते उन को चीफ़ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए । हम तो एक चली आरही परम्परा का ही पालन कर रहे हैं। हम ने ऐसा इस लिए किया कि हम जो परम्परा थी उस को हमने मान्यता दी है और हम जजों के फैसले मे डरते नहीं हैं। मैंने पहले भी कुछ मित्रों मे यही कहा था । एक दिन मुझ से कहा गया कि इंदिरा गांधी छूट गई हैं, होम मिनिस्टर ने गड़बड़ की थी । मैं कहना चाहता हूं कि हम ने तय किया है कि अदालतें छोटी से छोटी भी क्यों न हों हम उन के फैसलों के सामने झुकेंगे, शान से काम करेंगे । एक वह जमाना था जब वह कहा करतीं थीं कि अच्छा, एक अदालत की इज्जत ? मैं तो इतने करोड़ की जिम्मेदार हूं ।

जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है परम्परा यह है कि उन को स्वीकार नहीं किया जाता है । उन में बड़े स्वस्थ सुझाव दिए गए हैं । सरकार को जब धन्यबाद दिया जाता है तो उसका मतलब सुझाव देना भी होता है । इन संशोधनों को देकर उन्होंने सुझाव देने का अवसर प्राप्त किया है और इस के लिए मैं उनको साधवाद देता हूं ।

मैं नए विषय को लेना नहीं चाहता हूं इस वास्ते कि वह इस विषय का समापन नहीं होगा । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक वर्ष के क्रिया कलापों का जो सिंहावलोकन मैंने किया है उस में इतिहास के बुनियादी रूप को बदलने में हम कुछ दूर गए गए हैं जरूर लेकिन हमें अभी बहुत दूर जाना है । इसको आपको ध्यान में रखना चाहिये ।

एक सुझाव जो मैं देने जा रहा हूं उस में नियम और कानून बनाने की बात नहीं है । मैं मानता हूं कि सदन के चारों ओर के लोग मानते हैं कि प्रजातंत्र की रक्षा की जाए और उन को प्रजातंत्र से प्रेम भी है । बहुत से भाई डर के मारे बोल नहीं रहे हैं । मैं कहूंगा कि सब को इक्ट्ठा हो कर जो तानाशाही प्रवृत्तियां हैं उन के साथ लड़ने के लिये आगे आना चाहिये । यह कार्य सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर होना चाहिये । ऐसा किया गया तो यह प्रयास अधिक प्रभावकारी होगा ।

मैं इस मंच का प्रयोग करते हुए देश के इंटेलैकचुअल्ज, पढ़े लिखे लोगों, यूथ आदि सब को युनाइट होने की अपील करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि युनाइट हो कर तानाशाही प्रवृत्तियों से लड़ कर देश को उठाने का काम होना चाहिये । तानाशाही प्रवृत्तियों से लड़ने का माध्यम भी प्रजातांत्रिक होना चाहिये । ऐसा होगा तभी हम लड़ पाएंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी को उन के अभिभाषण के लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूं ।

MR. SPEAKER: Before I call upon the seconder, I would like to say that fifteen hours been allotted for this discussion. I have not yet distributed

the time for the parties because some of the parties are still in a fluid state. Therefore, I thought some stablisation would come on Monday or so and I shall limit the time some time on Monday or so.

Dr. Sushila Nayar.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi): MR. Speaker, Sir, I stand here to second the motion so ably moved by my friend, Shri Gauri Shankar Rai.

Sir, it is eleven months since we met here in this House to discuss a similar motion and during this period, considerable distance has been covered. We have moved forward. The people in this country have their civil liberties and they are peacefully living under the rule of law. But, Sir, I would just wish to say one word to the hon. Home Minister about Forty-Second Amendment. Instead of amending it in bits, I request him to bury it deep lock, stock and barrel with one stroke. There are three reasons why we opposed 42nd amendment.

MR. SPEAKER: You may continue on Monday. It will require sometime to bury!

15.00 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

ELEVENTH REPORT

SHRI VINODBHAI B. SHETH (Jamnagar): I beg to move the following:-

> "That this House do agree with the Eleventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd February, 1978".

MR. SPEAKER: The question is:

> 'That this House do agree with the Eleventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd Februory, 1978."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, we take up private Members Business. There are Bills for introduction. Mr. Chandrappan absent. Mr. Kachwai—absent. Mr. Ramamurthy—absent. Mr. Saugata Roy.

PROTECTION OF PRISONERS FROM THIRD DEGREE METHODS BILL

SHRI SAUGATA ROY: (Barrackpore) I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protecting the prisoners from third-degree methods.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protect ing the prisoners from third-degree methods."

The motion was adopted.

SHRI SAUGATA ROY: I introduce the Bill.

MR. SPEAKER: Shri Banatwalla-absent. Shri O. P. Tyagi.

15.01 hrs.

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL (*AMENDMENT OF SECTION 13*)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955".

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (*AMENDMENT OF ARTICLE 217*)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अध्यम महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।